


414



GADAM
26/9/10

म.प्र.राजस्व मंडल बेंच सागर

1. श्रीलाल चढार बल्द श्री मन्दाका चढार निगा - 3515 - F - 26
 2. श्रीनन्दलाल चढार बल्द श्री चन्दाका चढार
- दोनों निवासी-ग्राम पंचस्ट रत्तीना तहसील व जिला सागर

विस्तृत

1. कन्हैयालाल चढार बल्द श्री खुमान चढार
 2. पूरनलाल चढार बल्द श्री जमनाप्रसाद चढार
 3. हल्काई चढार बल्द श्री जमनाप्रसाद चढार
 4. कालूराम चढार बल्द श्री जमनाप्रसाद चढार
 5. श्रीमति राधारानी चढार पत्नि श्री राधेलाल चढार
 6. कन्हैयालाल चढार बल्द श्री राधेलाल चढार
 7. कन्हैयालाल चढार पुत्री श्री खुमान चढार
 8. कन्हैयालाल चढार पुत्री श्री खुमान चढार
- दोनों निवासी-ग्राम पंचस्ट रत्तीना तहसील व जिला सागर

अपील क्र-
.....

पुनरीक्षण याचिका अन्तर्गत धारा-44 म.प्र.भू-राजस्व अधिनियम-15 अ/27 वर्ष 2011-12 में आवेदन दिनांक-12.07.2010

रिवीजनकर्ता निम्नलिखित निवेदन करते हैं-


रिवीजनकर्ता ने अधिनस्थ न्यायालय श्रीमान तहसीलदार सागर द्वारा श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी सागर के समक्ष धारा-44 म.प्र.भू-राजस्व अधिनियम-15 अ/27 वर्ष-2001-02 में पारित आदेश दिनांक-25.04.2003 से परिचित होकर अपील अन्तर्गत धारा-44 म.प्र.भू-राजस्व अधिनियम के तहत पेश की थी जिसमें रिवीजनकर्ता द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष उक्त अपील बिलम्ब से पेश करने के कारण धारा-05 अधिनियम की धारा-05 के तहत आवेदन पत्र पेश किया था जिसमें अधिनस्थ न्यायालय द्वारा रिवीजनकर्ता का उक्त आवेदन पत्र अपील कर्मांक-15 अ/27 वर्ष 2011-12 में आवेदन दिनांक-12.07.2010 प्राप्त कर रिवीजनकर्ता द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अन्तर्गत परिशीला अधिनियम की धारा-05 निरस्त कर दिया गया। परिवेदित होकर रिवीजनकर्ता निम्न प्रदत्त एवं रिवीजन के आधारों पर पुनरीक्षण याचिका सम्मानीय न्यायालय के समक्ष पेश करता है।

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक-निगरानी-3515-एक/2016

जिला-सागर

बारेलाल व अन्य विरुद्ध कन्हैयालाल आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
18-03-2019	<p>प्रकरण प्रस्तुत। आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं। आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी सागर, जिला-सागर के प्रकरण क्रमांक 15/अ-27/2011-12 में पारित आदेश दिनांक 12-07-2016 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-9-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला-सागर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है।</p> <p>2/ पक्षकार दिनांक 13-05-2019 को कलेक्टर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p>	<p> (आरोपित पक्ष) सदस्य 18/3/19</p>